भारत सरकार

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1700

उत्तर देने की तारीख : 01.08.2024

एमएसएमई के लिए वित्तीय सहायता

1700. श्री जुगल किशोर:
श्री जनार्दन मिश्रा:

क्या **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए ऋण को सुकर बनाने और ऋण प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं को सरल बनाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) एमएसएमई हेतु वित्तीय सहायता तक पहुंच में सुधार लाने के लिए 'ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम (ट्रेड्स)' की स्थिति क्या है?

उत्तर

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम राज्य मंत्री
(सुश्री शोभा करंदलाजे)

(क) और (ख) : सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के लिए ऋण को सुविधाजनक बनाने तथा ऋण प्राप्त करने में शामिल प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु कई कदम उठाए हैं। उनमें से कुछ कदम निम्नानुसार हैं:-

(i) सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम जिसके लिए सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट अपने सदस्य ऋणदाता संस्थानों (एमएलआई) को उनके द्वारा सूक्ष्म और लघु उद्यमों को दिए जाने वाले ऋण के लिए गारंटी प्रदान करता है।

(ii) प्रधान मंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) जोकि एक प्रमुख क्रेडिट-लिंक्ड सब्सिडी कार्यक्रम है।

(iii) प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को प्रदान किए जाने वाले ऋण का लाभ प्राप्त करने के लिए अनौपचारिक सूक्ष्म उद्यमों (आईएमई) को औपचारिक दायरे में लाने के लिए उद्यम असिस्ट प्लेटफॉर्म (यूएपी) की शुरुआत।

(iv) पीएम विश्वकर्मा स्कीम शामिल किए गए 18 व्यापारों में कारीगरों और शिल्पकारों को क्रेडिट सहायता प्रदान करती है।

(v) 10 लाख रुपए तक के ऋण के लिए प्रधान मंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई)।

(vi) अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों (एससीबी) की प्रत्येक शाखा से कम से कम एक अनुसूचित जाति (एससी) अथवा अनुसूचित जनजाति (एसटी) ऋणप्राप्तकर्ता तथा एक महिला ऋणप्राप्तकर्ता को 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए के बीच का ऋण प्रदान करने की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने हेतु स्टैंड-अप इंडिया (एसयूआई) स्कीम।

ऋण प्राप्त करने में शामिल प्रक्रियाओं को सुविधाजनक बनाने हेतु डिजिटल सार्वजनिक अवसंरचना (डीपीआई) का प्रयोग किया जाता है। यह एक प्रौद्योगिकी प्रणाली है जो अंतरप्रचालनीयता, पारदर्शिता और समावेशन को बढ़ावा देती है ताकि ऋण तक पहुंच के साथ-साथ मुख्य सार्वजनिक और निजी सेवाएं प्रदान की जा सके। उद्यमीमित्र पोर्टल तथा पीएसबीलोनइन59मिनट्स एमएसएमई के लिए ऋण तक पहुंच को सुविधाजनक बनाते हैं।

व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली (ट्रेड्स) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के व्यापार प्राप्य के वित्तपोषण/उनमें छूट प्रदान करने हेतु एक प्लेटफॉर्म है। इन प्लेटफॉर्मों पर फैक्टरिंग यूनिट्स (एफयू) का वित्तपोषण एमएसएमई द्वारा वित्त तक पहुंच में सुधार लाने में सहायता प्रदान करता है। सिडबी द्वारा दी गई सूचना के अनुसार मई, 2024 की स्थिति के अनुसार, देशभर में ट्रेड्स कार्यकलापों के संचालन के लिए चार डिजिटल प्लेटफॉर्मों को प्राधिकृत किया गया है। 5,000 से अधिक खरीददार हैं तथा 53 बैंकों/13 एनबीएफसी को वित्तप्रदाताओं के रूप में पंजीकृत किया गया है।

*****